समाहरणालय, लातेहार

(भू–अर्जन शाखा)

समाहर्ता या समुचित सरकार

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम–30/2013 की धारा–11 (1) के अधीन)

संख्या– 468 /भू0 अ0 दिनांक– 30.10.18

चूंकि झारखण्ड सरकार /समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–चेटर थाना नं0–265 राजस्व थाना–चंदवा जिला लातेहार में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना–**132/33 के0भी0 ग्रीड सब–स्टेशन, चंदवा के निर्माण** अपेक्षित है ग्रीड सब–स्टेशन निर्माण के दौरान ज्यादातर लोगों की जमीन का अंश भाग अधिग्रहित किया जायेगा। परियोजना हेतु भू–अर्जन किये जाने की सहमति दी जाती है। भू–अर्जन के कारण कुल शून्य परिवारों के विस्थापित होने की संभावना है। इस बाध्यकारी विस्थापन का कारण नीचे दिया गया है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2 (1)(ख) के तहत् नियुक्ति पदाधिकारी को प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए है।

अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम–चेटर थाना नं0–265 राजस्व थाना–चंदवा जिला लातेहार में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश–**9.96** एकड़ मानक माप का भूखंड, प्रारंभिक अधिसूचना किया जाता है। जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है। (हाल सर्वे के अनुसार)

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता सं0	प्लॉट सं0	भूमि का प्रकार	कुल खतियानी क्षेत्र (रकबा)	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	खतियानी रैयत का नाम	पूरा पता सहित वर्तमान रैयत का नाम	सीमा (भूखंड सं0)			
									उ0	द0	पू0	प0
1	चेटर	162	1182/P	टांड–दो	2.26	0.65	फुलमती देवी पति शिवन साव	ग्राम टोला रखत पत्रालय सासंग	विपती साहुन	भुनेश्वर साव		
2	चेटर	182	1185/P	टांड–दो	1.23	0.47	विपती साहुन पिता नागो साह	शिवन साव पिता स्व0 बन्धु साव वैगरह टोला–रखात ग्राम–चेटर	शिवन साह	फुलमती देवी		
3	चेटर	182	1186/P	टांड–दो	4.41	2.30	विपती साहुन पिता नागो साह'	शिवन साव पिता स्व0 बन्धु साव वैगरह टोला–रखात ग्राम–चेटर	शिवन साह	सुधवा भुईया		
4	चेटर	181	1236/E	टांड–दो	0.40	0.40	विपती साहुन पिता नागो साह	शिवन साव पिता स्व0 बन्धु साव वैगरह टोला–रखात ग्राम–चेटर	पुरानी परती	शिवन साह		
5	चेटर	308	1238/E	टांड–एक	0.40	0.40	शिवन साव पिता स्व0 बंधु साव	शिवन साव पिता स्व0 बन्धु साव वैगरह टोला–रखात ग्राम–चेटर	गुजर पाहन	पुरानी परती		
6	चेटर	309	1237/E	टांड–एक	1.16	1.16	शिवन साव वो दशरथ साव पिता स्व0 बंधु साव	शिवन साव पिता स्व0 बन्धु साव वैगरह टोला–रखात ग्राम–चेटर	निज	पचल साव		
7	चेटर	309	1239/E	टांड–एक	0.60	0.60	शिवन साव वो दशरथ साव पिता स्व0 बंधु साव	शिवन साव पिता स्व0 बन्धु साव वैगरह टोला–रखात ग्राम–चेटर	गुजर साव	पुरानी परती		
8	चेटर	309	1240/E	टांड–एक	0.43	0.43	शिवन साव वो दशरथ साव पिता स्व0 बंधु साव	शिवन साव पिता स्व0 बन्धु साव वैगरह टोला–रखात ग्राम–चेटर	गुजर पाहन	पुरानी परती		

9	चेटर	310	1241/ E	टांड– एक	0.83	0.83	शिवन साव वो दशरथ साव पिता स्व0 बंधु साव	शिवन साव पिता स्व0 बन्धु साव वैगरह टोला–रखात ग्राम–चेटर	विपती साहुन	रास्ता		
10	चेटर	310	1242/ E	टांड– एक	0.53	0.53	शिवन साव वो दशरथ साव पिता स्व0 बंधु साव	शिवन साव पिता स्व0 बन्धु साव वैगरह टोला–रखात ग्राम–चेटर	विपती साहुन	रास्ता		
11	चेटर	310	1243/ E	मकान मय सहन	0.09	0.09	शिवन साव वो दशरथ साव पिता स्व0 बंधु साव	शिवन साव पिता स्व0 बन्धु साव वैगरह टोला–रखात ग्राम–चेटर	विपती साहुन	रास्ता		
12	चेटर	322	1187/ P	टांड– दो	3.24	2.10	सुधवा भुईया पिता स्व0 सोहराई भुईया	सुधवा भुईया पिता स्व0 सोहराई भुईया टोला–रखात ग्राम–चेटर	धनु भुईया	शिवन साव		
कुल–						**9.96**						

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013) की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है। भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, लातेहार के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार / समाहर्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, लातेहार और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्व अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय / विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60 दिनों) के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, लातेहार के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

30/10/18

उपायुक्त,
लातेहार।

ज्ञापांक– 468/भू दिनांक– 30.10.18

प्रतिलिपि– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित। निदेश है कि प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन स्थानीय दो दैनिक सामाचार पत्र में प्रकाशित कराकर प्रकाशित पत्र की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, लातेहार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन गजट के अगले अंक में कराकर दस प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

30/10/18

उपायुक्त,
लातेहार।